[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग

नई दिल्ली, तारीख 4 जनवरी, 2019

अधिसूचना

सा.का.नि. .... (अ)--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद **309** के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:--**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में,--

(i) नियम 38 के उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(1) दिव्यांगता अर्जित करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, उक्त धारा के उपबंधों द्वारा शासित होगा:

परंतु ऐसा कर्मचारी दिव्यांगजन अधिकार नियम, **2017** के अधीन यथाविहित सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) उस मामले में जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, वहां यदि सरकारी सेवक किसी शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण, जो उसे सेवा से स्थायी रूप से असमर्थ कर देती है, सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे नियम 49 के अनुसार अशक्त पेंशन दी जा सकेगी:

परंतु यदि कोई सरकारी सेवक किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण, जो उसे अपनी दस वर्ष अर्हक सेवा पूर्ण करने से पहले सेवा से स्थायी रूप से असमर्थ कर देती है, उसे भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियम 49 के उपनियम (2) के अनुसार अशक्त पेंशन दी जा सकेगी-

(क) समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा या तो सरकारी सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व अथवा उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसकी परीक्षा की गई और उसे सरकारी सेवा के लिए ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा योग्य घोषित किया गया हो; और

(ख) अशक्त पेंशन दिए जाने के लिए इस नियम में वर्णित अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता हो।";

(ii) नियम 49 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(2) नियम 38 के उपनियम (2) के परंतुक के अधीन रहते हुए, दस वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के मामले में, न्यूनतम नौ हजार रूपये प्रतिमास तथा अधिकतम एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास के अधीन रहते हुए, पेंशन की रकम परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत पर संगणित की जाएगी, जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक हो।"।

[फा.सं.21/1/2016-पीएंडपीडब्लयू(एफ)]

(संजीव नारायण माथुर)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक का.आ. 934, तारीख 1 अप्रैल, **1972** द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन नियमों का चतुर्थ संस्करण जुलाई, **1988** तक संशोधित करके वर्ष 1988 में प्रकाशित किया गया था। उक्त नियमों का पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया, अर्थात्:--

1. का0आ0 254, तारीख 4 फरवरी, 1989 ;
2. का0आ0 970, तारीख 6 मई, 1989 ;
3. का0आ0 2467, तारीख 7 अक्तूबर, 1989 ;
4. का0आ0 899, तारीख 14 अप्रैल, 1990 ;
5. का0आ0 1454, तारीख 26 मई, 1990 ;
6. का0आ0 2329, तारीख 8 सितंबर, 1990 ;
7. का0आ0 3269, तारीख 8 दिसंबर, 1990 ;
8. का0आ0 3270, तारीख 8 दिसंबर, 1990 ;
9. का0आ0 3273, तारीख 8 दिसंबर, 1990 ;
10. का0आ0 409, तारीख 9 फरवरी, 1991 ;
11. का0आ0 464, तारीख 16 फरवरी, 1991 ;
12. का0आ0 2287, तारीख 7 सितंबर, 1991 ;
13. का0आ0 2740, तारीख 2 नवंबर, 1991 ;
14. सा0का0नि0 677, तारीख 7 दिसंबर, 1991 ;
15. सा0का0नि0 39, तारीख 1 फरवरी, 1992 ;
16. सा0का0नि0 55, तारीख 15 फरवरी, 1992 ;
17. सा0का0नि0 570, तारीख 19 दिसंबर, 1992 ;
18. का0आ0 258, तारीख 13 फरवरी, 1993 ;
19. का0आ0 1673, तारीख 7 अगस्त, 1993 ;
20. सा0का0नि0 449, तारीख 11 सितंबर, 1993 ;
21. का0आ0 1984, तारीख 25 सितंबर, 1993 ;
22. सा0का0नि0 389(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1994 ;
23. का0आ0 1775, तारीख 19 जुलाई, 1997 ;
24. का0आ0 259, तारीख 30 जनवरी, 1999 ;
25. का0आ0 904, तारीख 30 सितंबर, 2000 ;
26. का0आ0 717(अ), तारीख 27 जुलाई, 2001 ;
27. सा0का0नि0 75(अ), तारीख 1 फरवरी, 2001 ;
28. का0आ0 4000, तारीख 28 दिसंबर, 2002 ;
29. का0आ0 860(अ), तारीख 28 जुलाई, 2003 ;
30. का0आ0 1483(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2003 ;
31. का0आ0 1487(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2005 ;
32. सा0का0नि0 723(अ), तारीख 23 नवबंर, 2006 ;
33. का0आ0 1821(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2007 ;
34. सा0का0नि0 258(अ), तारीख 31 मार्च, 2008 ;
35. का0आ0 1028(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2008 ;
36. का0आ0 829(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2010 ;
37. सा0का0नि0 176, तारीख 11 जून, 2011 ;
38. सा0का0नि0 928(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2012 ;
39. सा0का0नि0 938(अ), तारीख 27 सितंबर, 2012 ;
40. सा0का0नि0 103(अ), तारीख 21 फरवरी, 2014 ;

41. सा0का0नि0 138(अ), तारीख 3 मार्च, 2014 ;
42. सा0का0नि0 233(अ), तारीख 28 मार्च, 2014 ;
43. सा0का0नि0 628(अ), तारीख 1 सितंबर, 2014 ;
44. सा0का0नि0 232(अ), तारीख 30 मार्च, 2015 ; और
45. सा0का0नि0 962(अ), तारीख 30 सितंबर, 2016 ।